कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

एम.बीएस. मार्ग, कबीर सर्कल के पास, कोटा–324005

E-mail: registrar@uok.ac.in, Ph. No. 0744-2472934 , Fax :0744-2472960

आज़ादी का अमृत महोत्सव

प्रबन्ध–मण्डल की 51वीं बैठक दिनांक 21.08.2024

कार्यवृत

प्रबन्ध–मण्डल की 51वीं बैठक दिनांक 21.08.2024 को अपराह्न 12:15 बजे विश्वविद्यालय के सरस्वती भवन स्थित बैठक हॉल में माननीया कुलपति महोदया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नांकित की सहभागिता रही :–

प्रो0 नीलिमा सिंह — अध्यक्ष
माननीया कुलपति महोदया,
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

2. **संभागीय आयुक्त, कोटा (Online)** — सदस्य
सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयुपर
के द्वारा नामित सदस्य

3. **डॉ. अनुज सक्सेना (Online)** — सदस्य
नामित सदस्य,
प्रमुख शासन सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग (ग्रुप–4), राजस्थान सरकार,
जयपुर

4. **प्रो. भगवती प्रसाद सारस्वत** — सदस्य
कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित सदस्य

5. **प्रो. एन.सी. गौतम (Online)** — सदस्य
कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित सदस्य

6. **प्रो0 फूल सिंह गुर्जर** — सदस्य
कुलपति द्वारा नामित अधिष्ठाता

7. **डॉ0 के.के. शर्मा** — सदस्य
कुलपति द्वारा नामित अधिष्ठाता

8. **श्रीमती कल्पना देवी** — सदस्य
माननीय विधायक, लाडपुरा कोटा
राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित सदस्य

9. **प्रो0 रीना दाधीच** — सदस्य
कुलपति द्वारा नामित आचार्य

10. **डॉ. कृष्ण कुमार शर्मा** — सदस्य
विश्वविद्यालय अध्यापक–निर्वाचित सदस्य

11. **डॉ. पूर्वा अग्रवाल** — विशेष आमंत्रित सदस्य
वित्त नियंत्रक

12. **प्रो0 रीना दाधीच** — सदस्य सचिव
कुलसचिव

आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान, जयपुर एवं डॉ. अनुकृति शर्मा, विश्वविद्यालय अध्यापक–निर्वाचित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

बैठक के प्रारम्भ में सदस्य सचिव एवं माननीया कुलपति द्वारा सभी सम्मानीय सदस्यों का स्वागत व अभिनंदन किया गया।

प्रबन्ध मण्डल की बैठक में विचारणीय बिन्दुओं पर बिन्दुवार चर्चा कर निम्नानुसार संकल्प/निर्णय पारित किये गये :–

मद संख्या–1	:	**प्रबंध मंडल की बैठक दिनांक 23.09.2023, 03.05.2024 व 10.06.2024 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 23.09.2023, 03.05.2024 व 10.06.2024 के कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किया गया।
मद संख्या–2	:	**प्रबंध मंडल की बैठक दिनांक 10.11.2022, 23.09.2023, 03.05.2024 व 10.06.2024 में लिये गये निर्णयों के संबंध में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन अनुमोदित करना।**
निर्णय	:	प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 10.11.2022, 23.09.2023, 03.05.2024 व 10.06.2024 के कार्यवाही विवरण को निम्नांकित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया :– 1. प्रबंध मंडल की 43वीं बैठक दिनांक 10.11.2022 के मद सं0 13(1) में लिये गये निर्णयों में द्वितीय पेराग्राफ–"इसी क्रम में प्रबंध मंडल की बैठक में .... स्थायीकरण आदेश एसीबी के निर्णय के अध्यधीन सशर्त जारी किये जाने संबंधी निर्णय लिया गया।", को विलोपित किये जाने की अनुशंषा की गई। इस बाबत् विश्वविद्यालय के कार्मिकों के पूर्व में स्थगित किये गये स्थायीकरण के आदेशों को प्रत्याहारित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। 2. प्रबंध मंडल की 48वीं बैठक दिनांक 23.09.2023 के पूरक मद सं. 4(5) में विश्वविद्यालय में शिक्षकों को प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार का अवकाश प्रदान करने के संबंध में अन्य राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों से इस बाबत् संकलित जानकारी प्रबंध मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई। सदन द्वारा शिक्षकों को दी जाने वाली अवकाशों की गणना/आंकलन करके प्रकरण आगामी प्रबंध मंडल में रखे जाने का निर्णय लिया गया। 3. प्रबंध मंडल की 50वीं बैठक दिनांक 10.06.2024 के मद सं0 2(1) में श्री सुरेन्द्र गुप्ता के पदोन्नत/क्रमोन्नत पद एवं पे–मेट्रिक्स लेवल L-II के स्थान पर L-11 पढ़ा जावें तथा श्री धाकड़ भगत सिंह के वर्तमान पे–मेट्रिक्स लेवल– L-II के स्थान पर L-11 पढ़ा जावें।
मद संख्या–3	:	**विद्या–परिषद् की बैठक दिनांक 07.09.2023 (by circulation method), 09.10.2023 व 08.04.2024 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	विद्या–परिषद् की बैठक दिनांक 07.09.2023 (by circulation method), 09.10.2023 व 08.04.2024 के कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किया गया।

		एवं संशोधित बजट अनुमान एवं बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं संशोधित बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2023–24 का अनुमोदन करना।
निर्णय	:	वित्त समिति की 22वीं बैठक दिनांक 28.03.2024 का कार्यवाही विवरण एवं बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं संशोधित बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2023–24 को अनुमोदित किया गया। बैठक में विश्वविद्यालय शिक्षकों को Seed Money & Travel Grant (राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस) प्रदान किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश तय करने हेतु एक समिति का गठन करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। शिक्षकों के Seed Money हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट–प्रस्ताव के मूल्यांकन के लिए भी एक समिति के गठन हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।
मद संख्या–5	:	**परीक्षा–2024 से परीक्षा केन्द्र के पारिश्रमिक/मानदेय में अभिवृद्धि के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।**
निर्णय	:	परीक्षा–2024 से परीक्षा केन्द्र के पारिश्रमिक/मानदेय में अभिवृद्धि राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अनुसार करने की अनुशंषा की गई।
मद संख्या–6	:	**निरीक्षण मंडल (Board of Inspection) की दिनांक 06.01.2024 को आयोजित हुई बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	निरीक्षण मंडल (Board of Inspection) की दिनांक 08.01.2024 को आयोजित हुई बैठक के कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किया गया।
मद संख्या–7	:	**विश्वविद्यालय की भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 13.02.2024 के कार्यवृत का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	विश्वविद्यालय की भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 13.02.2024 के कार्यवृत को अनुमोदित किया गया।
मद संख्या–8	:	**खेल मंडल की बैठक दिनांक 16.10.2023 के कार्यवृत का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	खेल मंडल की बैठक दिनांक 16.10.2023 में लिये गये वित्त संबंधी निर्णय लेखा एवं वित्त अनुभाग को आंकलन/परीक्षण हेतु भेजा जाये तत्पश्चात् आगामी प्रबंध–मंडल की बैठक में कार्यवृत अनुमोदनार्थ रखे जावे।
मद संख्या–9	:	**विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 23.09.2023 को सम्पन्न हुई बैठक में मद संख्या 10 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय की अनुपालना में, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में कार्यरत 06 कर्मियों की सेवा अवधि में दिनांक 01.07.2024 से एक वर्ष के लिये की गयी अभिवृद्धि करने सम्बन्धी आदेशों को रिपोर्ट करने हेतु।**

निर्णय	:	सदन द्वारा उक्त प्रकरण को भविष्य में प्रबंध मंडल की बैठक में प्रस्तुत न करने के निर्देश प्रदान किये तथा माननीय कुलपति को अपने स्तर पर अनुमोदन संबंधी कार्यवाही करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
मद संख्या–10	:	**विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों के सुगम संचालन हेतु नियुक्त बाह्य समन्वयकों द्वारा उनके मानदेय में वृद्धि किए जाने के प्रस्ताव अवलोकनार्थ व आदेशार्थ प्रस्तुत है :–**
निर्णय	:	विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों के सुगम संचालन हेतु नियुक्त बाह्य समन्वयकों द्वारा उनके मानदेय में वृद्धि किए जाने के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें सदन ने ज्यादा से ज्यादा सेवानिवृत्त शिक्षकों को उक्त पाठ्यक्रमों के सुगम संचालन हेतु सेवाएं लेने के लिए सुझाव दिये। उनके मानदेय में वृद्धि किये जाने के संबंध में आचार्य, सह–आचार्य तथा सहायक आचार्य के पदानुसार रूपये 5,000/– से रूपये 8,000/– तक निर्धारित करने हेतु एक समिति का गठन करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।
मद संख्या–11	:	**सीएएस के तहत् पदोन्नति के सम्बन्ध में यूजीसी रेग्यूलेशन 2018 में स्टेज 3 से 4 (अकेडमिक लेवल 12 से 13ए) के अन्तर्गत दिये गये पदोन्नति प्रावधानों के संदर्भ में यूजीसी द्वारा जारी स्पष्टीकरण Public Notice दिनांक 23.12.2022 एवं 03.02.2023 के क्रम में डॉ. जय प्रकाश शर्मा, सह आचार्य (भूगोल) के प्रकरण की समीक्षा/परीक्षण करने हेतु विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 23.09.2023 के पूरक मद संख्या 03 की अनुपालना में गठित समिति की अनुशंषाएँ प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।**
निर्णय	:	सीएएस के तहत पदोन्नति के सम्बन्ध में यूजीसी रेग्यूलेशन 2018 में स्टेज 3 से 4 (अकेडमिक लेवल 12 से 13ए) के अन्तर्गत दिये गये पदोन्नति प्रावधानों के संदर्भ में यूजीसी द्वारा जारी स्पष्टीकरण Public Notice दिनांक 23.12.2022 एवं 03.02.2023 के क्रम में डॉ. जय प्रकाश शर्मा, सह आचार्य (भूगोल) के प्रकरण की समीक्षा/परीक्षण करने हेतु विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 23.09.2023 के पूरक मद संख्या 03 की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक 10223–10226 दिनांक 27.12.2023 के द्वारा गठित समिति की अनुशंषाओं को अनुमोदित किया गया।
मद संख्या–12	:	**सेवा निवृत्त सरकारी/विश्वविद्यालय अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएँ समेकित पारिश्रमिक के आधार पर लिए जाने के लिए के सम्बन्ध में कार्मिक (क–2), विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 28.03.2023 को अंगीकृत कर विश्वविद्यालय में लागू किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।**
निर्णय	:	सेवा निवृत्त सरकारी/विश्वविद्यालय अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएँ समेकित पारिश्रमिक के आधार पर लिए जाने के लिए के सम्बन्ध में कार्मिक (क–2), विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 28.03.2023 को अंगीकृत कर विश्वविद्यालय में लागू किये जाने के सम्बन्ध में

निर्णय	:	समिति की अनुशंषाओं के क्रम में जारी पदोन्नति आदेशों को रिव्यू किये जाने संबंधी विषय पर विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा उपरांत प्रकरण रिव्यू किये जाने हेतु पुनः विभागीय पदोन्नति समिति को भिजवा कर नियमानुकूल कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।
टेबल एजेण्डा 2	:	**कोटा विश्वविद्यालय, कोटा की दिनांक 09.10.2023 को सम्पन्न हुई अकादमिक परिषद् की बैठक के मद संख्या 03 में सीएएस/चयन हेतु लोक सेवा आयोग, अजमेर को शॉर्टलिस्ट किये जाने हेतु प्रेषित किये जाने वाले विषय विशेषज्ञों के पैनल का अनुमोदन किया जा चुका है। उक्त अनुमोदित विषय विशेषज्ञों के पैनल सम्बन्धी निर्णय की पुष्टि हेतु अकादमिक परिषद् की आगामी बैठक दिनांक 08.04.2024 में प्रस्तुत किये जाने पर कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उक्त अनुमोदित पैनल को निरस्त करवाये जाने हेतु प्रतिक्रियाएँ प्रदान की गयी है। अतः अकादमिक परिषद् के माननीय सदस्यों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आलोक में उक्त प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है :–**
निर्णय	:	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा की दिनांक 09.10.2023 को सम्पन्न हुई अकादमिक परिषद् की बैठक के मद संख्या 03 में सीएएस/चयन हेतु लोक सेवा आयोग, अजमेर को शॉर्टलिस्ट किये जाने हेतु प्रेषित किये जाने वाले विषय विशेषज्ञों के पैनल का अनुमोदन किया जा चुका है। उक्त अनुमोदित विषय–विशेषज्ञों के पैनल सम्बन्धी निर्णय की पुष्टि हेतु अकादमिक परिषद् की आगामी बैठक दिनांक 08.04.2024 में प्रस्तुत किये जाने ,पर कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उक्त अनुमोदित पैनल को निरस्त करवाये जाने हेतु प्रतिक्रियाएँ प्रदान की गयी है। उक्त आलोक में सदन में गहन विचार–विमर्श हुआ। उक्त प्रकरण में एक समिति का गठन करने हेतु माननीय कुलपति महोदया को अधिकृत किया गया। गठित समिति एक माह में अपनी रिपोर्ट माननीय कुलपति को प्रदान करेगी, जो कि आगामी प्रबंध मंडल की बैठक में रखे जाने की अनुशंषा की गई।
टेबल एजेण्डा 3	:	**कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में कार्यरत शिक्षकों को सीएएस के अन्तर्गत पदोन्नति प्रदान करने के सम्बन्ध में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, स्थानीय इकाई–कोटा विश्वविद्यालय, कोटा से प्राप्त अभ्यावेदन प्रबंध मंडल के समक्ष समुचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।**
निर्णय	:	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में कार्यरत शिक्षकों को सीएएस के अन्तर्गत पदोन्नति प्रदान करने के सम्बन्ध में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, स्थानीय इकाई–कोटा विश्वविद्यालय, कोटा से प्राप्त अभ्यावेदन का सदन में गहन विचार–विमर्श हुआ। चर्चा के दौरान यह जानने में आया कि वर्ष 2012 व 2013 के नियुक्त शिक्षकों के नियुक्ति संबंधी प्रकरण की जांच पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा अन्वेषण उपरांत अंतिम प्रतिवेदन (FR) माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी है। अतः प्रबंध मंडल द्वारा उक्त प्रकरण को अंतिम प्रतिवेदन (FR) के साथ आगामी प्रबंध मंडल की बैठक में रखे जाने की अनुशंषा की गई। साथ ही उक्त प्रकरण को टेबल एजेण्डा में न रखते हुये मुख्य एजेण्डा में रखने के निर्देश प्रदान किये गये।

		प्रस्तावों को अनुमादित किया गया। उक्त परिपत्र के आलोक में इच्छुक सेवा निवृत्त कार्मिक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों का विश्वविद्यालय की कार्य आवश्यकताओं एवं गुणा–गुण के आधार पर मूल्यांकन कर संबंधित को रखे जाने की अनुशंषाएं प्रदान करने के लिए एक समिति के गठन हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।
मद संख्या–13	:	**विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित करवायी जाने वाली सेमीनार/वर्कशॉप/व्याख्यान/कॉन्फ्रेंस इत्यादि में व्याख्यान/लेक्चर प्रदान करने हेतु बुलवाये जाने वाले विषय विशेषज्ञों/विशेषज्ञों को भुगतान किये जाने सम्बन्धी मानदेय/पारिश्रमिक का निर्धारण करवाने हेतु प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत है।**
निर्णय	:	विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित करवायी जाने वाली सेमीनार/वर्कशॉप/व्याख्यान/कॉन्फ्रेंस/FDP/Orientation इत्यादि में व्याख्यान/लेक्चर प्रदान करने हेतु बुलवाये जाने वाले विषय विशेषज्ञों/विशेषज्ञों को भुगतान किये जाने सम्बन्धी मानदेय/पारिश्रमिक का निर्धारण रूपये 2,000/– प्रति घण्टा, अधिकतम रूपये 6,000/– तथा विस्तार व्याख्यान (Extension Lecture) के लिए रूपये 750/– प्रति घण्टा तथा अधिकतम 3 घण्टे प्रति दिवस की दर से दिये जाने की अनुशंषा की गई। उपरोक्त मानदेय विषय विशेषज्ञों द्वारा ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन माध्यम से जुड़ने पर एक समान रहेगा।
मद संख्या–14	:	**विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् छात्रों का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा विश्वविद्यालय के द्वारा भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) से अनुमोदित कम्पनियों से करवाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।**
निर्णय	:	विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् छात्रों का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा विश्वविद्यालय के द्वारा भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) से अनुमोदित कम्पनियों से टेण्डर के माध्यम से करवाये जाने की अनुशंषा की गई। इसके लिए छात्रों से लिये जाने वाले प्रवेश शुल्क के साथ रूपये 100/– (वार्षिक) अतिरिक्त लिये जाने की अनुशंषा की गई।
टेबल एजेण्डा 1	:	**राज्य सरकार से विश्वविद्यालय में मंत्रालयिक वर्ग में राज्य सरकार के अनुरूप पदोन्नति चैनल सृजित करवाये जाने सम्बन्धी निर्देशों की अनुपालना में मंत्रालयिक संवर्ग का पुनर्गठन किये जाने के फलस्वरूप, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप–4)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक प.14(10)शिक्षा–4/2001 पार्ट–00897Part File(1) दिनांक 18.07.2024 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अशाटीप संख्या FD/E-2/कार्मिक/(5)/2023–24 दिनांक 05.10.2023 की अनुपालना में कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में मंत्रालयिक संवर्ग में स्वीकृत पदों का पुनर्गठन करने के सम्बन्ध में तथा पुनर्गठित पदों पर विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषाओं का माननीय कुलपति महोदया द्वारा अनुमोदन किये जाने के उपरान्त जारी किये गये निम्नांकित पदोन्नति सम्बन्धी कार्यालय आदेशों को प्रबन्ध मण्डल के समक्ष रिपोर्ट किये जाने हेतु प्रस्तुत है :–**

अन्त में कुलपति महोदया ने सभी माननीय सदस्यों का बैठक में सक्रियता से भाग लेने के लिए आभार व्यक्त किया।

बैठक आसन को धन्यवाद के साथ पूर्ण हुई।

[redacted]

कुलपति
एवं अध्यक्ष

कुलसचिव
एवं सदस्य सचिव